

राजस्थान राज—पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 13, शुक्रवार, शाके 1936—जुलाई 4, 2014 Asadha 13, Friday, Saka 1936-July 4, 2014

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 4, 2014

संख्या प. 2 (12) विधि / 2 / 2014:-- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 10)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई]

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तन करने और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है। (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. शेखावाटी विश्वविदयालय, सीकर का नाम परिवर्तन.- (1) शेखावाटी विश्वविदयालय, सीकर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 29), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविदयालय, सीकर होगा।

- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।
- (3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- 3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।
- (2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।
- 4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची (धारा 3 देखिए)

दीर्घ नाम.- दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- **धारा 2.-** विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(ण) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अभिप्रेत है;"।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर" प्रतिस्थापित की जायेगी। प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 4, 2014

No. F. 2 (12) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Shekhawati Vishwavidyalaya, Sikar (Naam Parivartan) Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):-

(Authorised English Translation) THE SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR (CHANGE OF NAME) ACT, 2014

(Act No. 10 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 3rd day of July, 2014]

An

Act

to change the name of the Shekhawati University, Sikar and to make certain amendments in the Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Shekhawati University, Sikar (Change of Name) Act, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
 - 2. Change of name of the Shekhawati University, Sikar.-
- (1) The name of the Shekhawati University, Sikar incorporated under the Shekhawati University, Sikar Act, 2012 (Act No. 29 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.
- (2) Any reference to the Shekhawati University, Sikar in any law for the time being in force or in any indenture, instrument

or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

- (3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.
- **3. Amendment.-** (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule to this Act.
- (2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.
- **4. Citation of the principal Act.-** The principal Act may be cited as the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012.

THE SCHEDULE

(See section 3)

Long Title.- In long title, for the existing expression "Shekhawati University at Sikar", the expression "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University at Sikar" shall be substituted.

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Shekhawati University, Sikar", the expression "the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar" shall be substituted.

Section 2.- For the existing clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

"(o) "University" means the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar incorporated under section 3:".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression "the Shekhawati University, Sikar", the expression "the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता, Principal Secretary to the Government.

4
Government Central Press, Jaipur.